केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 4,
KENDRIYA VIDYALAYA NO. 4,
शिक्षामंत्रालयभारतसरकारकेअधीनएवंस्वायत्तनिकाय
An Autonomous Body Under Ministry Of Education, Government Of India
कंधार लाइन्स, नजदीक करिअप्पा विहार, दिल्ली कैंट - ११००१०
Kandhar Lines, Near Cariappa Vihar, Delhi Cantt-110010
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
दूरभाष न० / TELEPHONE No :-011 - 46088998
वेबसाइट/ Website:https://no4delhicantt.kvs.ac.in ई-मेल/E- mail:kv4delhicantt10@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फा. /के0वि0 क्रं 4 दिल्ली कैंट/2024–25/140–144 दिनांक: 23.10.2024

निविदा दस्तावेज: (निविदा पूछताछ)

(कैंटीन)

विषय: सेवा अनुबंध के माध्यम से (कैंटीन) प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता की सेवा लेने हेतु बोली आमंत्रण के लिए नियम एवं शर्ते और निविदा दसतावेज ।

महोदय/ महोदया

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रशासित एक रक्षा क्षेत्र का विद्यालय है । केंद्रीय विद्यालय संगठन, समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय पूर्णवित्त पोषित स्वायत्तशासी निकाय है । संगठन केंद्रीय विद्यालय की योजना को स्थानांतरित केंद्र सरकार/ परियोजनाओं/ रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशासित करता है ।
2. केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी द्वारा जैसा की नीचे बताया गया है, कार्य आदेश जारी करने की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अनुबंध के माध्यम से विद्यालय में कैंटीन सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत सेवा प्रदाता फर्म से मुहरबंद प्रतिस्पर्धी बोलियों (खुली निविदा पूछताछ) को आमंत्रित किया गया है :-

1. अनुबंध, अनुबंध की तिथि से प्रारंभ के एक वर्ष तक वैध रहेगा तथा इसके पश्चात आवश्यक होने पर आपसी सहमती से आगे की अवधि के लिए बढाया जा सकता है ।
2. विद्यालय में कैंटीन संचालन हेतु ठेकेदार के पास वैध भोजन की वयवस्था या आवश्यक अनुज्ञा-पत्र या अनुमति (मंजूरी) पत्र होना आवश्यक है ।
3. मूल्य-सूची इस अनुबंध के साथ संलग्न की जाएगी जो की एक वर्ष के लिए वैध होगी । विद्यालय में कैंटीन हेतु ठेकेदार उन्ही वस्तुओं की आपूर्ति करेगा जिन वस्तुओं को प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी/ सीबीएसई/ केवीएस के निर्देशों के अनुसार अनुमोदित करेंगे ।
4. अनुच्छेद-1 में अंकित सभी भोज्य- पदार्थों की आपूर्ति हेतु ठेकेदार जिम्मेदार होगा ।
5. कैंटीन हेतु भवन विद्यालय द्वारा किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा । कैंटीन के उचित संचालन एवं संरक्षण हेतु ठेकेदार जिम्मेदार होगा । उपकरणों की मरम्मत एवं रख- रखाव का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जायेगा तथा इस हेतु वह किसी प्रतिपूर्ति की माँग नहीं करेगा ।
6. ख़राब खाने के कारण हुई बीमारी (फ़ूड पोइजिनिंग)/ संदूषण होने कि स्थिति में ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेवार होगा तथा वह फ़ूड पोइजिनिंग/ संदूषण पर होने वाले खर्च को वहन करेगा साथ ही सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
7. कार्य क्षमता को बनाये रखने हेतु ठेकेदार प्रयाप्त संख्या में कर्मचारियों को बहाल करेगा ।
8. ठेकेदार द्वारा लगाये गए सभी कर्मचारी ठेकेदार के स्वयं के कर्मचारी होंगे तथा व (कर्मचारी) प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी से किसी भी प्रकार की सुविधाओं की माँग नहीं करेंगे । कर्मचारियों के सामान्य वयवहार व शालीन आचरण के संबंध में प्रसाशन की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

9. सामान्य स्वास्थ्य के संबंध में ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित न हों का स्वास्थ्य पंजीकरण अनुमोदित, पंजीकृत चिकित्सक जो कि भारतीय चिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त हो, से कराकर ही कार्य पर लगाएगा ।

10. कैंटीन परिसर एवं रसोई में बर्तन एवं उपस्कर आदि कि सफाई की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । सफाई हेतु सफाई उपकरण जैसे डस्टर आदि संसथान द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे ।

11. ठेकेदार द्वारा कैंटीन कक्ष, रसोई एवं संबंध सेवाओं में स्वच्छता एवं सफाई के ऊँचे स्तर का अनुपालन किया जायेगा तथा अपशिष्ठ एवं कूड़ा कचरा के आवधिक निस्तारण के लिए ठेकेदार एवं उनके कर्मचारी जिम्मेदार होंगे ।

12. कैंटीन सभी विद्यालयी कार्य दिवस पर भोजन वयवस्था हेतु खुली रहेगी ।

13. कैंटीन इंचार्ज की अनुमति के बिना ठेकेदार कोई भी सामान या स्टोर विद्यालय परिसर से बाहर नहीं ले जायेगा । यदि आपूर्ति किये जाने वाले अनुमोदित सामग्री की आपूर्ति करने में ठेकेदार विफल रहता है तो उस स्तिथि में विद्यालय प्रसाशन ठेकेदार के जोखिम एवं व्यय पर उन सामग्रियों की वयवस्था करेगा ।

14. बीमा नियम अनुसार केंद्रीय विद्यालय में ठेकेदार द्वारा काम पर लगाये गए कर्मचारियों का बीमा करवाया जायेगा । इसके अतिरिक्त कर्मचारी स्टाफ बीमा नियम, कामगार क्षतिपूर्ति नियम, कर्मचारी भविष्य निधि एवं पारिवारिक पेंशन फण्ड नियम-1952 तथा अन्य नियम जो इन पर लागू होते हैं, ठेकेदार द्वारा प्रदान किय जायेगा ।

15. ठेकेदार द्वारा कैंटीन में लगाये गए सभी कर्मचारियों को सूची केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी को मुहैया कराई जाएगी और इसमें कोई बदलाव होने पर इसकी सूचना विद्यालय को दि जायेगी ।

16. केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी में नियुक्त कर्मचारियों के आरक्षी सत्यापित दस्तावेज ठेकेदार द्वारा नियुक्ति के 15 दिनों के अंदर विद्यालय में जमा करना आवश्यक है । ऐसा नहीं करने पर ऐसे कर्मचारियों को विद्यालय में काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और ठेकेदार द्वारा उसे अविलम्ब हटाकर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना होगा जिसका आरक्षी सत्यापन पूर्ण हो चुका हो ।

17. केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी समय कैंटीन कर्मचारियों के विद्यालय परिसर से बाहर जाते समय उनकी तलाशी ले सके । इसमें न तो ठेकेदार और न ही कर्मचारियों को कोई आपति होनी चाहिए । ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी द्वारा अनुमोदित प्रारूप में पहचान पत्र जारी करेंगे ।

18. केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी द्वारा नामित व्यक्ति को यह अधिकार होगा की वह कैंटीन में पके एवं बिना पके खाद्य- सामग्रियों की गुणवता जाँच हेतु कैंटीन से नमूना ले सकता है । यह नमूना केवल अधिकृत व्यक्ति ही ले सकता है ।

19. केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी द्वारा कैंटीन की कार्य प्रणाली, स्वच्छता एवं संबंधित सेवाओं की जाँच (देखरेख) के लिए कैंटीन प्रबंधन समिति का गठन किय जायेगा । कैंटीन के रख- रखाव के संबंध में समिति द्वारा दिए गए निर्देश के बार-बार उल्लंघन की स्तिथि में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/ सचिव को यह अधिकार होगा की वह ठेकेदार के ऊपर 5000/-रूपये का जुर्माना कर सकेगा जो ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि से काट लिया जायेगा एवं कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कैंटीन समिति के अनुमोदन पर एक महीना की सूचना पर संविदा रद्द किया जा सकता है ।

20. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन परिसर में कोई खतरनाक एवं जवल्नशील पदार्थ एवं जहरीला पदार्थ नहीं रखा गया है ।

21. ठेकेदार UBI VVN A/C NO.-352702010713567 के नाम धरोहर राशि 10000/- रूपए डिमांड ड्राफ्ट टेक्निकल बिड के साथ संलग्न करेगा ।

22. ठेकेदार प्रबंधन द्वारा दिए गए लाइसेंस को किसी और को नहीं देगा तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए स्थान का उपयोग केवल कैंटीन चलाने के उद्देश्य से ही करेगा और उसके किसी भी हिस्से में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकेगा । ठेकेदार केवल कैंटीन के लिए आवश्यक सामग्री ही रखेगा । वह कैंटीन की संरचना में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकेगा ।

K.V. No. 4 Delhi के वि सं-4 दिल्ली

23. ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा विद्यालय की सम्पति को क्षति पहंचाए जाने की स्तिथि में ठेकेदार उतरदायी होगा और नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा । इसके अलावा यदि वह क्षति देवीय प्रकोप के कारण होती है तो जिम्मेदार नहीं होगा ।
24. केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी ठेकेदार द्वारा कैंटीन में रखे गए सामानों के नुक्सान एवंक्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
25. अनुबंध टूटने की स्तिथि में दोनों तरफ से लिखित में एक महीने की पूर्व सूचना दी जाएगी । लाइसेंस की अवधि की समाप्ती या उसके पहले केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी के द्वारा कहे जाने पर ठेकेदार को शांतिपूर्वक कैंटीन परिसर खाली करना होगा और ठेकेदार विद्यालय द्वारा प्रदत उपस्कर एवं अन्य सामग्री वापस करेगा । ठेकेदार द्वारा साथ ही साथ उसके द्वारा लगाये गए उपस्कर व अन्य सामग्रियों को ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा ।
26. किसी भी तरह के विवाद की स्तिथि में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी के प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।
27. ठेकेदार को सिर्फ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी में कैंटीन चलाने के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी इसके अलावा ठेकेदार को परिसर के इस्तेमाल का कोई क़ानूनी अधिकार नहीं होगा ।
28. ठेकेदार कैंटीन में उपयोग की जाने वाले बर्तन, गैस स्टोव आदि का प्रबंध स्वयं करेगा ।
29. ठेकेदार को अन्य कार्यालयों में कैंटीन चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
30. ठेकेदार को उन संस्थाओं की सूची जहाँ उसने कैंटीन चलाई है की सूची केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी में जमा करवानी होगी ।
31. ठेकेदार अपनी फर्म का पैन नंबर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी में जमा करवाएगा । बिना पैन नंबर के किसी भी प्रकार का भुगतान जारी नहीं किय जायेगा और सभी प्रकार का कर उनके भुगतान से काट लिया जायेगा । केवल स्पीड पोस्ट द्वारा निविदा पहुँचने की अंतिम तिथि. 13-11-2024 .दोपहर 1 बजे तथा खोलने का समय दिनांक 13-11-2024 को दोपहर 01:30 बजे अपराहन होगा ।
32. ठेकेदार नोट करे की एक लिफाफे में पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण, फ़ूड लाइसेंस की फोटोकॉपी, अनुभव प्रपत्र व धरोहर राशि ड्राफ्ट डालकर लिफाफे के ऊपर टेक्निकल बिड लिखकर सील करें, दूसरे लिफाफे में लैटर हेड के साथ अनुलाग्नित रेट लिस्ट पर ठेकेदार के हस्ताक्षर फर्म की स्टाम्प लगाकर फाइनेंसियल बिड लिखें तथा दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में डालकर लिफाफे पर "कोटेशन कैंटीन" लिखें और प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी, कंधार लाइन्स, करिअप्पा विहार दिल्ली छावनी-110010 को केवल स्पीड पोस्ट से भेजें ।

(शिवा कुमार शर्मा)
प्राचार्य

शिवा कुमार शर्मा / SHIVA KUMAR SHARMA
प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय क्र0 4 दिल्ली छावनी-110010
Kendriya Vidyalaya No.4 Delhi Cantt-110010

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी -110 010

कैंटीन आइटम की सूची

S. No.	Brief description of Items	Qty	Rates Proposed including all taxes and Rates not more than (in Rs.)	Rates Quoted including all taxes by Firm (in Rs)
1	Hot Coffee	One cup (125 ML)	10	
2	Hot Tea (Dip)	One cup (125 ML)	10	
3	Hot tea	One cup (125 ML)	10	
4	Hot Coffee (Dip)	One cup (125 ML)	12	
5	Hot coffee	High quality	12	
6	Samosa/Aloo Bonda	Patato with peas	10	
7	Bread Pakora	Patato with peas	15	
8	Paneer Pakora	30 gram	20	
9	Mix Pakora	50 gram, 100 gram	8, 15	
10	Kachori – One	Without sabzi	10	
11	Kachori- One	With sabzi	15	
12	Omlette (one egg)	With two slice	10	
13	Omlette (two egg)	With four slice	20	
14	Gulab Zamun – One	50 gram	15	
15	Balu Shahi – One	50 gram	15	
16	Besan Ladoo – One	50 gram	10	
17	Burfi – One	35 gram	15	
18	Spunge Rasoogulla – One	50 gram	20	
19	Sambar Vada,, Single piece with sambar	Single Piece	20	
20	Sambar Vada,, Two piece with sambar	Two Piece	40	
21	Idli	Single Piece	20	
22	Idli	Two Piece	40	
23	Masala Dosa with sambar and chuteny	one	70	
24	Plain Dosa with sambar	one	50	
25	Ordinary Lunch	4 Roti, Rice, One seasonal vegetable, Dal, Slad,	70	
26	Special Lunch	4 Roti, Pulao, Paneer vegetable, Dal, Slad, Pappad, sweet	100	
27	Rice with Dal/Vegetable one place	Half plate	35	
28	Vegetable/Dal	Half plate	20	
29	Paneer Vegetable	Half plate	35	
30	Roti	per piece	5	
31	Vegetable Pulao	Half plate, Full Plate	25, 40	
32	Biscuit/Cold drink/etc.	Not more than MRP.	M.R.P	

MENU FOR LUNCH/ DINNER/ BREAKFAST FOR SPORTS PARTICIPANTS COURSE/ SEMINAR/ WORKSHOP				
S. No.	**Brief description of Items**	**Qty**	**Rates Proposed and not more than (in Rs.)**	**Rates Quoted by Firm (in Rs)**
33	Breakfast (200 ml Milk, 04Pcs Bread with butter and Jam , Idli & Bada with Sambar, Chatni or Dalia/Poha or Aloo parantha, & curd or Puri +Sabji 02 pcs of banana or 01pcs of apple / Seasonal Fruits and 02 pcs boiled eggs OR Sprouts	Per head	60	
34	Training Time : Lime water/Juice/Lassi etc.	Per head	20	
35	Lunch (Chapati (Tawa/Tandoor), Plane Rice, Jeera Rice,/ Rice Pulab Daal or Rajma or Chhole(any one) Seasonal mixed vegetable,Kofta/ Beson curry paneer for vegetarians,and egg/Fish/ Chicken /Mutton curry salad papad , Pickles and curd /Raita Sweet dish/Fruits Custard/Kheer/Fruits(any one)	Per head	105	
36	Evening Snacks(Juice-200 Ml with snacks (i.e. sandwich/samosa /aloo bonda / Patties	Per head	25	
37	Dinner : Chapati,(Tawa/Tandoor) Plane Rice Jeera Rice/ Rice Pulab ,Sweet/ Daal or Rajma or Chhole(any one) Seasonal mixed vegetable,Kfta/ Beson curry paneer for vegetarians,and egg/Fish/Chicken/Mutton curry salad papad, Pickles and curd /Raita Sweet dish/Fruits Custard/Kheer/Fruits(any one)	Per head	100	
38	Night (Bed-time):- Milk 200 ml/Branded Ice cream	Per head	15	
39	**MENU FOR WORKING LUNCH**	**Per head**		
(a)	**Break Fast** – Puri, Sabji/Idli, Bada & Sambar Bada/Sandwich, Poha/Eggs/Banana + Tea		300	
(b)	Lunch - (Chapati (Tawa/Tandoor), Plane Rice, Jeera Rice,/ Rice Pulab Daal or Rajma or Chhole (any one) Seasonal mixed vegetable, Kofta/ Beson curry paneer for vegetarians, and egg/Fish/Chicken Curry/ Mutton currysalad papad, Pickles and curd /Raita Sweet dish/Fruits Custard/Kheer/Fruits (any one)			
(c)	Tea with Snacks – 3 to 4 times as per requirement.			
(d)	Water in Sealed Water Bottle throughout the day as per requirement.			
40	**MENU FOR LUNCH/DINNER/BREAKFAST FOR IN-SERVICE COURSE/SEMINAR**			
(a)	High Tea-Sandwich,Dhokla,Poha/Idli/Upma and Sweet	Per head	70	
(b)	Lunch (Puloa/Rice,Dal, 01 fried Vegetable , 01 Paneer vegetable, Chapati, Raita, Salad, Papad & Mixed Vegetable.	Per head	100	
(c)	Tea with snacks (3 to 4 times or as per requirements)	Per head	30	
41	Bedding i.e. 1 Mattress +1 bed sheet + 1Chaddar/quilt +1 Pillow	Per set	75	
42	Bedding i.e. 1 Mattress +1 bed sheet +1Chaddar/quilt +1 Pillow + Cot	Per set	125	
43	**Canteen Room Rent**	**Per Month**		
44	Electric Charges	**Per Month**	As per meter reading	

Note : 1. Row no. 43 is basically for evaluation purpose. The tender will be evaluated on the basis of canteen room rent only. The bidder who will quote the highest room rent and fulfill other required criteria will be considered as successful bidder.

2. केवीएस के द्वारा समय-समय पर जारी कैंटीन से संबन्धित नियमवाली केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 4 दिल्ली छावनी पर भी लागू होगी।

(शिवा कुमार शर्मा)
प्राचार्य